न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/15/2026	2026/28	18.02.2026	20.04.2026

1. जल्ली बेवा तौफान पुत्रवधु भूरा उर्फ भूरया जाति माली निवासी बाबाजी की कोठी मालाखेडा जिला अलवर राज0। —प्रार्थीगण

बनाम

1. लीलाराम पुत्र भूरा उर्फ भूरया जाति माली नि0 बाबाजी की कोठी मालाखेडा जिला अलवर।
2. लालाराम पुत्र भूरा उर्फ भूरया जाति माली नि0 बाबाजी की कोठी मालाखेडा जिला अलवर।
3. फकनी पुत्र भूरा उर्फ भूरया जाति माली नि0 बाबाजी की कोठी मालाखेडा जिला अलवर।
4. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—
01—श्री रामनिवास जाट —वकील प्रार्थीगण
02— श्री रज्जन सिद्ध — वकील अप्रार्थी सं0 3

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में लंबित/विचाराधीन प्रकरण बउनवान जल्ली बनाम लीलाराम प्रकरण सं. 1/436/20 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत में वाद मुकदमा बअनुवान श्रीमती जल्ली वादनी बनाम लीलाराम वगैरा प्रतिवादीगण मुकदमा नंबर 1/436/20 आगामी पेशी दिनांक 11.02.2026 दावा रेवेन्यू अदालत उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा में विचाराधीन है। वादनी सायला ने तहत अदालत में दावा प्रतिवादीगण गैरसायलान के खिलाफ उक्त दावा पेश कर रखा है जिसमें प्रतिवादीगण गैरसायलान की तामील हो चुकी हैं। प्रतिवादीगण गैरसायलान प्रभावशाली व राजनैतिक व शक्तिशाली लोग हैं जिन्होने पीठासीन अधिकारी से अपना बेजा मेल रसूख मिला लिया है व पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी गैरसायल नंबर 3 के कहे अनुसार तारीख पेशी लगाते हैं मिन वादनी सायला ने पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में व उनके निवास पर कई बार अपनी आंखो से प्रतिवादी नंबर 3 को देखा है। पीठासीन अधिकारी व प्रतिवादी नंबर 3 व उसके वकील के कहे अनुसार मुकदमा हाजा में तारीखे लगाते हैं व पीठासीन अधिकारी एक माह में चार पेशी लगाते हैं।

प्रतिवादी गैरसायल नंबर 3 ने सरेआम गांव में ऐलानिया कह दिया है कि मैंने, पीठासीन अधिकारी से अपना बेजा मेल रसूख मिला है जिससे वो पीठासीन अधिकारी ने जरेजिलास यह कह दिया है कि दावे में जान नही है दावे को खारिज करके छोडूंगी। आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी नंबर 3 का कोई ताल्लुक वास्ता किसी भी किस्म का ना कभी था और ना हैं प्रतिवादी नंबर 3 ने आराजी मुतनाजा के बाबत कोई विरासत का या रेवेन्यू रिकार्ड पेश नही किया है फिर भी पीठासीन अधिकारी सरेआम कहती है कि मुकदमे को खारिज करके रहूंगी।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र मुकदमा बअनुवान श्रीमती जल्ली वादनी बनाम लीलाराम वगैरा प्रतिवादीगण मुकदमा नंबर 1/436/20 आगामी पेशी दिनांक 11.02.2026 दावा रेवेन्यू अदालत उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा से तलब किया जाकर अन्य अदालत में मुन्तकिल किया जावे व खर्चा मुकदमा दिलाया जावे व अन्य दादरसी जोबानजदीक अदालत जायज साबित हो बहक सायलान अताः फरमाया जावे। हलफनामा पेश है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अप्रार्थीगण अधिवक्तागण ने बहस के दौराने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार है। प्रार्थीगण मामले को लटकाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है।

आवेदन झूठे व गलत तथ्यों के साथ दाखिल है, इसलिए खारिज किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रार्थना पत्र सिर्फ मुकदमे को लंबा करने और अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास है। अतः निवेदन किया है कि "प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठे, बेबुनियाद, अस्पष्ट और भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, इसे खारिज किया जाए।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने नियत से पेश किया है। फिर भी श्रीमान उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। शेष वादी स्वंय सिद्ध करें।

पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया एवं उभय पक्षों के तर्कों तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी पर मनन किया। किसी भी पीठासीन अधिकारी पर पक्षपात के आरोप लगाना अत्यंत गंभीर प्रकृति का विषय है। ऐसे आरोपों को केवल मौखिक कथनों के आधार पर सत्य नहीं माना जा सकता, जब तक कि उनके समर्थन में कोई ठोस, वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के निवास या चेम्बर में प्रतिवादी को देखने का जो आरोप लगाया गया है, उसके समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रार्थी का यह तर्क कि पीठासीन अधिकारी एक माह में चार पेशियां लगा रहे हैं, न्यायिक दृष्टिकोण से पक्षपात का आधार नहीं हो सकता। मुकदमों का त्वरित निस्तारण न्यायालय का कर्तव्य है। यदि न्यायालय प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु कम अवधि की पेशियां नियत कर रहा है, तो इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी का यह कृत्य मूल प्रकरण की कार्यवाही को बाधित करने और न्यायालय का समय व्यर्थ करने की एक युक्ति मात्र है। पीठासीन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं मनगढंत हैं तथा यह प्रार्थना–पत्र मात्र प्रकरण में अनावश्यक देरी कारित करने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है।

अतः समग्र परिस्थितियों और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय की निष्पक्षता पर संदेह का कोई ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। ऐसे आवेदन का उद्देश्य मुकदमे की कार्यवाही में विलम्ब करना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल बिना पर्याप्त कारण, तथ्य व सबूत/साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में बिना किसी दवाब या पूर्वाग्रह के, गुण–दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही जारी रखें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)
राजस्थान